PATLIPUTRA UNIVERSITY
PATNA-800020

E-mail:- patliputrauniversity2018@gmail.com
registrar@ppup.ac.in

Ref.no:- R/PPU/2380/23 **Date:-** 04.11.2023

सेवा में,

प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य,
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालयान्तर्गत सभी महाविद्यालय।

विषयः— अनुपस्थित (03 दिन से अधिक) छात्र—छात्राओं का नाम काटने पर कृत कार्यवाई के संबंध में।

संदर्भः— शिक्षा विभाग, बिहार सरकार पत्रांक — 15 / एम 1—245 / 2023—3972
दिनांक 27.10.2023.

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देश के आलोक में सूचित करना है कि आपके महाविद्यालय में अनुपस्थित (03 दिन से अधिक) छात्र—छात्राओं पर कृत कार्यवाई संलग्नित प्रपत्र में भरकर प्रतिदिन ईमेल—attendance.nodal@ppup.ac.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस संबंध में दिनांक 01.11.2023 को माननीय कुलपति की अध्यक्षता में की गई बैठक में सभी प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य को शिक्षा विभाग के पत्र (छाया प्रति संलग्नित) के आलोक में दिशा—निर्देश दिया जा चुका है।

अनुलग्नकः—

- यथोक्त।

Shalini
04-11-2023
कुलसचिव
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

प्रतिलिपिः—

R Kumar
04/11/23

1. सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार।

महाविद्यालय का नाम	तिथि	अनुपस्थित (03 दिन से अधिक) छात्र–छात्राओं का नाम काटने पर कृत कार्यवाई				अभियुक्ति (कृत कार्यवाई)
		नाम (छात्र/छात्रा)	विषय	कक्षा	विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या	

04/11/23

1/82921/2023

पत्रांक– 15/एम1–245/2023 - 3807.
शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक,

डा0 रेखा कुमारी,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

पटना दिनांक 14/10/2023

विषयः– विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में अनुपस्थित रह रहे छात्र–छात्राओं के नाम काटने एवं अन्य निदेशों के संबंध में।

महाषय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार निम्नांकित निदेश दिये जा रहें हैं :–

1. विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर जो भी छात्र या छात्रा 03 दिनों से अधिक अनाधिकृत रूप से लगातर अनुपस्थित पाये जाते हैं उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए स्पष्टीकरण असंतोषजनक होने पर उनका नाम काटने/पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई की जाय।

2. विश्वविद्यालय के परीक्षा–नियंत्रक कुलसचिव के सहयोग से यह सुनिश्चित होने के बाद ही छात्र–छात्राओं को परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड निर्गत करेंगे की उक्त छात्र–छात्रा की उपस्थिति 75% प्रतिशत या उससे अधिक रही है।

उक्त निदेश का अनुपालन कृपया दृढ़ता से किया जाय।

विश्वासभाजन

Signed by Rekha Kumari
Date: 13-10-2023 13:17:15
(रेखा कुमारी)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

15/एम1-245/2023

84759/2023

पत्रांक 15/एम 1–245/2023 – 3972.

बिहार सरकार

उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग

प्रेषक,

रेखा कुमारी,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय, बिहार।

पटना, दिनांक 27.10.2023

विषयः– विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अनुपस्थित रह रहे छात्र/छात्राओं के नाम काटने एवं अन्य निदेश के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 3807 दिनांक 14.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में समीक्षोपरांत कहना है कि वैसे छात्र/छात्रा, जिनके नाम काटने की कार्रवाई प्रासंगिक पत्र के आलोक में की जाए के द्वारा अगर इस संबंध में शपथ पत्र दिया जाता है कि भविष्य में उनके द्वारा नियमित रूप से महाविद्यालय में उपस्थित रहा जायगा इस हेतु उन्हें एक मौका और दिया जाय तो उस परिस्थिति में संबंधित प्राचार्य/प्रिंसिपल वैसे विद्यार्थियों को पुनः नामांकन का अवसर देते हुए उन्हे कक्षा में पढने की अनुमति दे सकते हैं।

विश्वासभाजन,

Signed by Rekha Kumari
Date: 22-10-2023 13:48:09

(रेखा कुमारी)
निदेशक, उच्च शिक्षा